न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – संजू पारीक आर.ए.एस.

निगरानी अन्तर्गत धारा 97(1) पंचायती राज अधिनियम

प्रकरण संख्या – 01/2025

1. रोहिताश पुत्र श्री सोहनलाल जाति जाखड़ जाट साकिन कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– अपीलान्ट

1. धर्मपाल पुत्र श्री रावताराम जाति जाट साकिन कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. ग्राम पंचायत कानसर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कानसर तहसील नोहर।
3. ग्राम पंचायत सिरगंसर जरिये ग्राम पंचायत सिरगंसर तहसील नोहर।
4. अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति नोहर तहसील नोहर।

– रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी ।
श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह भारी अप्रार्थी सं 1
श्री विक्रम सिंह यादव, अप्रार्थी सं 1
श्री सुभाष बिजारणियां अप्रार्थी सं 1

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

निर्णय दिनांक :– 02/04/2026

निगरानी रोहिताश पुत्र श्री सोहनलाल जाति जाखड़ जाट साकिन कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ द्वारा निर्णय दिनांक 09/09/2024 एवं स्थापना समिति पंचायत समिति नोहर जिसकी रूह से अपील संख्या 63/2023 बअनवानी धर्मपाल बनाम रोहिताश स्वीकार कर पट्टा सं. 54 दिनांक 23/01/1986 को अपास्त किया गया हैं को निर्णय अपास्त किये जाने बाबत एवं पट्टा बहाल किये जाने बाबत निगरानी पेश की गई, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार हैं–

1. अप्रार्थी सं. 1 की तरफ से अपील सं. 63/2023 बअनवानी धर्मपाल बनाम रोहताश आदि इस आश्य की पेश की गई कि अपीलार्थी [illegible] कानसर की आबादी भूमि में पूर्वजों के समय से आवासीय [illegible] जिसके [illegible] मुख्य [illegible]गान, दक्षिण में लालचन्द का मकान पूर्व में [illegible] का [illegible] पश्चिम में लालचन्द है त[illegible] उतर में 51 फुट दक्षिण में 51 फुट पूर्व में 58 [illegible] है। अपीलार्थी वर्तमान [illegible] भूखण्ड में जलाउ लकडी, थेपड़ी कृषि उपकरण आदि रखकर नोहरा के रूप में लगातार शान्ति पूर्वक उपयोग करता आ रहा है तथा दिनांक 06/08/2023 को अपीलार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:39 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)

प्रकरण संख्या 01/2025 अनवान रोहताश बनाम धर्मपाल आदि

अपने उक्त भूखण्ड के उतरी पश्चिमी कोणों पर मकान निर्माण करने लगा तो प्रत्यार्थी सं. 1/निगरानी कर्ता वहा आया व अपीलार्थी को कमरा निर्माण करने से मानकर कहा कि इस जगह का उनके नाम से पटटा जारी है। जिस पर अपीलार्थी, प्रत्यार्थी सं. 2 के समक्ष उपस्थित हुआ व अपीलार्थी के पट्टा प्रत्यार्थी सं. 1/निगरानी कर्ता द्वारा पट्टा की पैमाइश हेतु निवेदन किया। जिस पर अप्रार्थी सं. 2 द्वारा दिनांक 18/. 8/2023 को दोनों पक्षकारान की अपने–अपने पट्टा संहित मौका पर उपस्थित हेतु कहा गया। उक्त दिवस पर प्रत्यार्थी सं. 1/प्रार्थी ना तो स्वयं उपस्थिति आया व ना ही उसके द्वारा बताये पट्टा बाबत कोई दस्तावेज प्रत्यार्थी सं. 2 के समक्ष पेश किया। जिस पर प्रत्यार्थी सं. 2 द्वारा अपीलार्थी के पट्टा के माप अनुसार पैमाईश कर अपीलार्थी के पट्टा को सही होना बताया व निर्माण करने की इजाजत दी । जिस पर दिनांक 01/12/2023 को अपीलार्थी अपने पट्टा शुदा भूखण्ड का वापिस निर्माण करने लगाा तथा प्रत्यार्थी सं. 1 / निगरानी कर्ता कहा आया व झगडा. करने लगा व मौका पर एक पट्टा भी प्रति दी । जिस पर अप्रार्थी को दिनांक 01/12/2023 को प्रथम बार अपीलार्थी का पट्टा का ज्ञान हुआ व पता चला कि प्रत्यार्थी सं. 1 ने अपीलार्थी के भूखण्ड के उतरी तरफ चिपती चौगान की भूमि का तादादी 244 वर्गफीट माप का एक अपीलाधीन पटटा सं. 54 मिसल सं. 54 तारीख दायरी दिनांक 23/10/1985 मिसल फैसला दिनांक 23/01/1986 को भूमि विक्रय विलेख के तहत अपने दादा हीराराम पुत्र श्री कुम्भाराम के नाम से प्रत्यार्थी सं. 3 से बनवा रखा हैं अपीलाधीन पट्टा चौगान की भूमि का होने पर अवैधानिक हैं व बिना भौतिक सत्यापन किये प्रत्यार्थी सं. 3 द्वारा नियम विरूद्व पट्टा जारी किया गया है। अपीलाधीन पट्टा भूमि विकय विलेख के तहत जारी है उक्त नियम अनुसार ग्राम पंचायत की खाली पड़ी भूमि जो गली चौगान आदि कि ना हो तो बाबत जारी किया जा सकता है। जबकि अपीलाधीन पट्टा में वर्णित भूमि चौगाान की भूमि है। उक्त भूमि पर पट्टा धारक श्री हीराराम या उनके वारिसान का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। प्रत्यार्थी सं. 1/ निगरानीकर्ता अपीलाधीन पट्टा की आड में अपीलार्थी का उसे कब्जा शुदा व उपयोग–उपभोग शुदा भूखण्ड पर नवनिर्माण करने से रोक रहे है। भूखण्ड बेद[illegible] आमादा है इसलिए पट्टा खारीज किया जावे आदि–आदि राजस्थान पंचायत [illegible] अधिनियम सन् 1994 की धारा 61 (1) के अन्तर्गत पे[illegible]जाकर पक्षकारान को सुनवाई का नोटिस जारी किये व उभय पक्ष को सुना तथा [illegible] पर निरीक्षण कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु ओदशित किया गया। अपील की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी अप्रार्थी सं. 1 ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराव किया एवं प्रत्यार्थी सं. 1/ निगरानी कर्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:39 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

ने गांव कानसर पूर्व में सिरगंसर पंचायत में होना बताते हुऐ अपीलार्थी के भूखण्ड के आगे ग्राम पंचायत सिरंगसर तहसील नोहर द्वारा उनके दावा के नाम से पट्टा जारी होना बताया तथा पट्टा सही तरीके से जारी होना बताया व उक्त पट्टा अपने आधार कार्ड की प्रति पेश करते हुए अपील खारीज करने का निवेदन किया एवं मौका निरीक्षण कमेटी की रिपोर्ट पेश हुई एवं पट्टे का चौगान का मानते हुए मातहत अदालत द्वारा पट्टा सं. 54 दिनांक 23/01/1986 को निरस्त फरमा दिया गया निर्णय दिनांक 09/09/2024 से व्यथित होकर निम्नलिखित आधार पर प्रार्थी निगरानी प्रस्तुत कर रहा हैं :-

क- यह कि निर्णय दिनांक 09/09/2024 अदालत मातहत बखिलाफ कानूनी नियम व वाक्यात व रूहदाद मिसल हैं एवं मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय मनमाना एवं स्वेच्छारिता पूर्ण एंव एक तरफा पारित किया गया हैं एवं निर्णय दिनांक 09/09/2024 को काबिली खारीजी के है।

ख - यह कि मातहत अदालत द्वारा पट्टा संख्या 54 दिनांक 23/01/1986 पर कतई गौर नहीं करके निर्णय पारित किया गया है एंव निगरानी कर्ता के दादा हीराराम पुत्र कुम्भाराम के पक्ष में ग्राम पंचायत सिरंगसर तहसील नोहर द्वारा 20 गुणा 12 फुट का पट्टा जारी किया गया था एवं उपरोक्त पट्टा विकय विलेख के आधार पर जारी किया था। एवं जिस पर हमेशा से ही निगरानीकर्ता के दादा के कब्जा में रही एवं उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसान के कब्जा में हैं। तथा उपरोक्त पट्टा पर करीबन 40 वर्ष पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा किया गया था।

ग - निगरानी कर्ता के दादा हीरालाल पुत्र कुम्भाराम के पक्ष में पट्टा संख्या 54 दिनांक 23/01/1986 को ग्राम पंचायत सिरगंसर तहसील नोहर के द्वारा नियम 266 के तहत जारी किया गया था। एवं अप्रार्थी सं. 1 ने वर्तमान ग्राम पंचायत से साठ-गाठ कर निगरानीकर्ता की पट्टा शुदा भूखण्ड पर वर्तमान में दिनांक 23/06/2022 को पट्टा जारी करवा लिया यानि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा पटे पर पट्टा जारी करवाया गया इसलिए पट्टा अप्रार्थी सं. 1 द्वारा ग्राम पंचायत से गलत रूप से जारी करवाया गया हैं एवं पट्टा अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में वर्तमान में जारी किया गया को अपास्त करने चाहिए था परन्तु राजनैतिक पहुच होने के [illegible]नीकर्ता के काबिज पट्टे को अपास्त किया गया जो कतई [illegible]

घ - मातहत अदालत में हीरालाल पुत्र कुम्भाराम [illegible] समस्त वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया केवल निगरानीकर्ता को पक्षकार ब[illegible] गया है एवं उपरोक्त पट्टे का विवाद माननीय सिविल न्यायालय में भी जैरकार था जिस पर माननीय सिविल न्यायालय से स्थगन आदेश भी जारी हैं एवं मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय प्राकृतिक न्याय

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:39 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

के सिद्वान्तों की अवहेलना मे पारित किया गया हैं जो निरस्त योग्य हैं।

ड – निगरानी कर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर मातहत अदालत द्वारा कतई गौर नहीं किया गया हैं एवं मातहत अदालत में मौका निरीक्षण कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एक तरफा निर्णय पारित किया गया हैं कि जबकि मौका कमेटी द्वारा मौका देखा गया तब निगरानीकर्ता को मौक पर बुलाया नहीं गया एवं नही गांव के मौजिज व्यक्तियों को मौके पर बुलाया गया केवल राजनैतिक रूप से द्वेषता पूर्ण निर्णय पारित किया गया हैं जो कि काबिले खारीजी के हैं।

च – मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09/09/2024 का प्रार्थी का पूर्व में ज्ञान नही था क्योकि प्रार्थी खेती का कार्य करता है तथा प्रार्थी को इस बात का इल्म नही था कि पेशी पर जाना है जिस कारण प्रार्थी पेशी पर पहुच नहीं पाया तथा प्रार्थी कई दिन पहले पंचायत समिति नोहर मे पेशी का पता करने आया तो पता चला कि प्रार्थी के कब्जा शुदा भूखण्ड का पट्टा निरस्त कर दिया गया इसलिए प्रार्थी वकील आदि से राय कर पैसे आदि की व्यवस्था करके उक्त निगरानी पेश । अतः ज्ञान से निगरानी अन्दर मियाद है तथा दफा 5 मियाद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र संलग्न निगरानी है तथा निगरानी के मियाद की छुट प्रदान की जावे एवं निगरानी ज्ञान से अन्दर मियाद है।

2. यह कि निगरानी के अन्य बिन्दु वरवक्त बहस अर्ज किये जायेगे।

3. यह कि निगरानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है तथा उचित कोर्ट फ़ीस पर तहरीर पेश है।

अतः निगरानी पेश कर निवेदन हैं कि निगरानी प्रार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09/09/2024 अपास्त फरमाया जावे एवं पट्टा सं. 54 दिनांक 23/01/1986 को बहाल किया जावें।

निगरानी पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई । अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह एडवोकेट, श्री विक्रम सिंह यादव एडवोकेट, सुभाष बिजारणीयां एडवोकेट एंव अप्रार्थी संख्या 04 की ओर से श्री रोहिताश सिंहाग एडवोकेट उपस्थित हुये। अप्रार्थी संख्या 04 अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी के आधारों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी द्वारा यह निगरानी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09/09/2024 निर्णय पारित कर पट्टा सं. 54 दिनांक 23/01/1986 को ग्राम पंचायत सिरंगसर द्वारा जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:39 IST
Reason: Self Attested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

पट्टा को खारिज किया गया है, के विरूद्व पेश की गई हैं। पट्टा सं. 54 दिनांक 23/01/1986 को ग्राम पंचायत सिरंगसर द्वारा 20 गुणा 12 साईज का पट्टा प्राथी के दादा के पक्ष में जारी किया गया। प्रार्थी के दादा के कब्जा में रहा एवं उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसान के कब्जा में है। इस पट्टे के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय में अपील दायर की गई। अप्रार्थी ने विवादित पट्टाशुदा भूखण्ड पर अप्रार्थी सं. 02 वर्तमान ग्राम पंचायत कानसर द्वारा दिनांक 23/06/2022 को पट्टा जारी करवा लिया। अप्रार्थी सं. 02 द्वारा पूर्व से जारी पट्टा सं. 54 दिनांक 23/01/1986 को खारिज किये बिना पट्टे पर पट्टा जारी किया गया है जो उचित प्रतित नहीं होता है। । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09/09/2024 निर्णय पारित कर पट्टा सं. 54 दिनांक 23/01/1986 साइज 20 गुणा 12 को ग्राम पंचायत सिरंगसर द्वारा जारी पट्टा को खारिज किया जाना गलत है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर प्रार्थी का पट्टा बहाल किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 01 ने अपनी बहस में कथन किया कि निगरानी 6 माह बाद पेश की गई। जो मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। विवादित पट्टा के उत्तरी तरफ मुख्य चौगान होना अंकित है तथा मौका निरिक्षण कमेटी की रिपोर्ट अनुसार मौका पर चौगान की भूमि होना बताया गया है। निगरानी देरी से पेश करने का कारण नहीं बताया गया है। निगरानी खारिज योग्य है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रार्थी/ निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार की जाती हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09/09/2024 को अपास्त किया जाता है। पट्टा सं. 54 दिनांक 23/01/1986 को ग्राम पंचायत सिरंगसर द्वारा जारी 20 गुणा 12 साईज का पट्टा बहाल किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक [illegible] को खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:39 IST
Reason: SelfAttested

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)